बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक ...../ पटना, दिनांक .....
सं0 सं0–5/उ0नि0ब0 (आवंटन) 05/2017

प्रेषक,

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा/बांका

विषय : **आयकर रिटर्न दाखिल करने में हुई अनियमितता के कारण आयकर विभाग द्वारा अधिरोपित की गयी शास्ति के भुगतान के विषय में वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देश के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा के पत्रांक 214, दिनांक 04.07.2017 एवं जिला उद्योग केन्द्र, बांका के पत्रांक 220, दिनांक 02.05.2017 द्वारा विगत वर्षो में समय पर आयकर रिटर्न दाखिल न कर पाने के कारण आयकर विभाग द्वारा शास्ति अधिरोपित किये जाने की सूचना देते हुए इसके लिए अतिरिक्त राशि के आवंटन की मांग की गयी है।

इस संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक 3544, दिनांक 02.05.2016 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यदि किसी कार्यालय द्वारा नियमित रूप से आयकर विवरणी दाखिल करने की कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण आयकर विभाग द्वारा कोई व्याज या शास्ति अधिरोपित की जाती हो तो इसके लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही उत्तरदायी होगें।

अतः इसके लिए अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जा सकता।

अनुलग्नकः–वित्त विभाग का पत्रांक 3544, दिनांक 02.05.2016

विश्वासभाजन

ह0/–
उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3582/ पटना, दिनांक 23.11.17

प्रतिलिपि :–आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

713 New Tall

संचिका संख्या-को०प्र०/विविध-08/2013-3544/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

एच०आर० श्रीनिवास,
सचिव(संसाधन) ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी,
सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक- 21/5/16

विषयः- आयकर आयुक्त (TDS) पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में बिहार सरकार के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किये जाने के संबंध में ।

प्रसंग : आयकर आयुक्त (TDS) पटना का पत्रांक CIT (TDS)/Pat/2015-16/ दिनांक 21.03.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि राज्य के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा किये जाने वाले भुगतान से TDS की कटौती खातावही सामंजन द्वारा किया जाता है । आयकर अधिनियम 1962 के नियम 30 के आलोक में TDS से संबंधित आयकर मद में कटौती की गयी राशि ससमय आयकर विभाग को उपलब्ध करा देना है । आयकर आयुक्त पटना के पत्र से अवलोकन होता है कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा TDS की राशि निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि संलग्न पत्र के आलोक में TDS की राशि जमा कराने एवं आयकर विवरणी दाखिल करने की कार्रवाई नियमित रूप से किया जाय । किसी भी चूक के कारण यदि ब्याज या शास्ति अधिरोपित किया जाता है तो इस हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे ।

अनुलग्नक - यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(एच०आर० श्रीनिवास)
सचिव (संसाधन) ।

36/280